

प्रेस नोट संख्या 64

दिनांक 30.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

थाना अमेठी पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा, चोरी के कुल 81,900 रुपये के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.05.2024 को उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना अमेठी जनपद अमेठी मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 135/24 धारा 457,380,411 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्तों 1.मो0 साहिल पुत्र बाबू निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 22 वर्ष, 2.शिवपूजन चौरसिया उर्फ शेखू पुत्र कामता प्रसाद चौरसिया निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 21 वर्ष, 3.सुधांशू तिवारी पुत्र सुरेन्द्र कुमार तिवारी निवासी गायत्री नगर धम्मौर रोड कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 20 वर्ष को कस्बा गौरीगंज से समय करीब 11:50 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया व एक अभियुक्त भागने में सफल रहा । तलाशी से अभियुक्त मो0 साहिल के कब्जे से 22,200 रुपये, अभियुक्त सुधांशू तिवारी के कब्जे से 22,300 रुपये व अभियुक्त शिवपूजन चौरसिया के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल TVS RADEON संख्या यूपी 36 एन 4398 की डिग्गी से 37,400 रुपये बरामद हुए । मोटरसाइकिल के कागज मांगने पर दिखा न सके । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद रुपये के संबंध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि “हम तीनों लोगों ने व मेरा एक साथी जो अपने हिस्से के 22,500 रुपये लेकर अभी मौके से भाग गया है जिसका नाम पता अंशू मौर्या पुत्र संतराम मौर्या निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी है, ने मिलकर दिनांक 27.05.2024 को गंगागंज कस्बा अमेठी में चोरी किया था वही पैसा हम लोग आपस में बाट कर जाने वाले थे” ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मो0 साहिल पुत्र बाबू निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 22 वर्ष ।
2. शिवपूजन चौरसिया उर्फ शेखू पुत्र कामता प्रसाद चौरसिया निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 21 वर्ष (मु0अ0सं0 89/24 धारा 386,323,308,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी में वांछित) ।
3. सुधांशू तिवारी पुत्र सुरेन्द्र कुमार तिवारी निवासी गायत्री नगर धम्मौर रोड कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी उम्र 20 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम पता-

- अंशू मौर्या पुत्र संतराम मौर्या निवासी गंगागंज कस्बा अमेठी थाना व जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- चोरी के कुल 81,900 रुपये ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 135/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
- मोटरसाइकिल TVS RADEON संख्या यूपी 36 एन 4398 (धारा 207 एमवी एक्ट) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना व जनपद अमेठी ।
2. का0 अमृत लाल थाना व जनपद अमेठी ।
3. का0 राजेश यादव थाना व जनपद अमेठी ।

अभियुक्त शिवपूजन चौरसिया उर्फ शेखू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 327/20 धारा 323,452,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 515/20 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 516/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 27/21 धारा 323,504,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 218/21 धारा 457,380,411,504,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
6. मु0अ0सं0 15/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।
7. मु0अ0सं0 263/22 धारा 457,380,411,504,506 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
8. मु0अ0सं0 274/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
9. मु0अ0सं0 284/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।